न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 347 GCMS:-2024/796 **दायर दिनांकः–** 27.12.24

मंगेज कुमार पुत्र श्री हरीराम जाति नायक साकिन वार्ड नं0 10 नया सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 ———प्रार्थी

बनाम

1–साजनराम पुत्र श्री ईशरराम जाति मेघवाल साकिन किशनपुरा तहसील सूरतग्ढ जिला श्री गंगानगर

2–राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी ए

उपस्थित :–

1– श्री प्रमेन्द्रसिंह भाटी, ममता अभिभाषकगण प्रार्थी

2– श्री संजय कुमार शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी न0 1

3– पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ अप्रार्थी न0 2

–:– निर्णय –:– दिनांकः– 27.12.24

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी , अप्रार्थी न0 1 एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से भूमि वाके चक 2 पी पी एन के खाता सं0 143/68 के प0न0 152/51 मु0न0 16 के किला नं0 18 में 0.253 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । अप्रार्थी न0 1 के नाम से भूमि वाके चक 2 पी पी एन तहसील सूरतगढ के खाता सं0 68/24 के प0न0 152/51 मु0न0 16 के किला न0 6/1 में 0.076 है0, 14/2 में 0.037 है0, 15–16/0.506 है0, 17/4 में 0.109 है0, 17/5 में 0.1187 है0, 23/1 में 0.174 है0, 24/1 में 0.045 है0 कुल 1.0657 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। प्रार्थी उक्त भूमि अप्रार्थी स0 1 से खरीद की है । प्रार्थी अपनी भूमि में आवागमन के लिए चक 2 पी पी एन के प0न0 152/51 के किला नं0 21 ता 25 में चल रहे गै0मु0 रास्ता से होकर अप्रार्थी न0 1 की भूमि प0न0 152/51 के किला नं0 23 में 0.0414 है0 अर्थत 148.5फुट गुणा 30 फुट उतर से दक्षिण पश्चिम पासा में चालू रास्ता से खरीद के समय से ही आवागमन करता आ रहा है । लेकिन अप्रार्थी न0 1 की भूमि प0न0 152/51 के किला नं0 23 में 0.0414 है0 अर्थत 148.5फुट गुणा 30 फुट उतर से दक्षिण पश्चिम पासा में चालू रास्ता स्वीकृत नही है। उक्त चालू रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा में आने जाने बाधा है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी न0 1 की भूमि वाके चक 2 पी पी एन के प0न0 152/51 के किला नं0 23 में 0.0414 है0 अर्थत 148.5फुट गुणा 30 फुट उतर से दक्षिण पश्चिम पासा में चालू रास्ता स्वीकृत करवाना करने का निवेदन किया ।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 251 (क) एवं राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 68–70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में उक्त वाद में अंकित तथ्यों की चाही गई रिपोर्ट भू–अभिलेख निरिक्षक एव पटवारी हल्का द्वारा बिन्दुवार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा [illegible] ।

रिपोर्ट के पश्चात प्रार्थना–पत्र दर्ज रजि[illegible] कि[illegible]ाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी न0 1 जरिये अभिभाषक [illegible] उपस्थित हुये ।

अप्रार्थी सं0 1 के अभिभाषक [illegible]ण–पत्र प्रस्तुत कर रा[illegible]कृत करने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.02 16:00:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इसके पश्चात प्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 1 एव पेरोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि चक 2 पी पी एन के खाता सं0 143/68 के प0न0 152/51 मु0न0 16 के किला नं0 18 में 0.253 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । अप्रार्थी न0 1 के नाम से भूमि वाके चक 2 पी पी एन तहसील सूरतगढ के खाता सं0 68/24 के प0न0 152/51 मु0न0 16 के किला नं0 6/1 में 0.076 है0, 14/2 में 0.037 है0, 15–16/0.506 है0, 17/4 में 0.109 है0, 17/5 में 0.1187 है0, 23/1 में 0.174 है0, 24/1 में 0.045 है0 कुल 1.0657 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। प्रार्थी उक्त भूमि अप्राथ्र्थी स0 1 से खरीद की है । प्रार्थी अपनी भूमि में आवागमन के लिए चक 2 पी पी एन के प0न0 152/51 के किला नं0 21 ता 25 में चल रहे गै0मु0 रास्ता से होकर अप्रार्थी न0 1 की भूमि प0न0 152/51 के किला नं0 23 में 0.0414 है0 अर्थत 148.5फुट गुणा 30 फुट उतर से दक्षिण पश्चिम पासा में चालू रास्ता से खरीद के समय से ही आवागमन करता आ रहा है । लेकिन वर्तमान में चालू रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि में आने जाने बाधा है । इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी न0 1 की भूमि वाके चक 2 पी पी एन के प0न0 152/51 के किला नं0 23 में 0.0414 है0 अर्थत 148.5फुट गुणा 30 फुट उतर से दक्षिण पश्चिम पासा में चालू रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। इसके अलावा प्रार्थी को अपने रकबा में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है । इसलिए प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। इसके साथ साथ तहसीलदार राजस्व सूरतगढ एवं भूअभिनिरीक्षण की रिपोर्ट भी पत्रावली में सम्मलित है जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि प्रार्थी को वैक्लपिक रास्ते का अभाव है। तथा रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी के रकबा में जाने के लिए उक्त जैरवाद वाद रकबा में चल रहा रास्ता ही आवागमन का माध्यम है। इसके अलावा प्रार्थी को अपने रकबा में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। जिसे स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

अप्रार्थी सं0 1 के अभिभाषक के द्वारा जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि वाके चक 2 पी पी एन के प0न0 152/51 के किला नं0 23 में 0.0414 है0 अर्थत 148.5फुट गुणा 30 फुट उतर से दक्षिण पश्चिम पासा में चालू रास्ता स्वीकृत करने की सहमति प्रस्तुत की गई।

उभय पक्षो की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावैजो तथा तहसीलदार राजस्व सूरतगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि वाके चक 2 पी पी एन के खाता सं0 143/68 के प0न0 152/51 मु0न0 16 के किला नं0 18 में 0.253 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि को किसी भी प्रकार का कोई भी वैक्लपिक रास्ता नही है। अप्रार्थी न0 1 की भूमि चक 2 पी पी एन के प0न0 152/51 के किला नं0 23 में 0.0414 है0 अर्थत 148.5 फुट गुणा 30 फुट उतर से दक्षिण पश्चिम पासा में चालू रास्ता आवागमन का एक मात्र माध्यम है। पत्रावली में प्रस्तुत भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा बिन्दूबार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा के अवलोकन से ही पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा वैक्लपिक रास्ता का अभाव है। प्रार्थी के रकबा को किसी प्रकार का कोई भी अन्य कोई रास्ता नही लगता है। उक्त चालू रास्ता स्वीकृत किया जाना सही है। इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी न0 1 के नाम खातेदार भूमि चक 2 पी पी एन के प0न0 152/51 के किला नं0 23 में 0.0414 है0 अर्थत 148.5फुट गुणा 30 फुट उतर से दक्षिण पश्चिम पासा खातेदारी भूमि कलमजन कर गै0मु0 रास्ता के नाम अंकन करने का आदेश दिया जाता है । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.12.24 को खुले ... में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.02 16:00:14 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

क्रमांक / 9554

दिनांक :– 27.12.24

तहसीलदार राजस्व
सूरतगढ

विषयः–अनवान प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) प्र0 सं0 357 /2024 अनवान मंगेज कुमार बनाम साजनराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 27.12.24 की पालना करने हेतू ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी न0 1 के नाम खातेदार भूमि चक 2 पी पी एन के प0न0 152/51 के किला नं0 23 में 0.0414 है0 अर्थत 148.5फुट गुणा 30 फुट उतर से दक्षिण पश्चिम पासा खातेदारी भूमि कलमजन कर गै0मु0 रास्ता के नाम अंकन करने का आदेश दिया जाता है । किसी समक्ष न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नही होने पर नियमानुसार स्वीकृत किये गये रास्ता का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाई जावे ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.02 16:00:14 IST
Reason: SelfAttested